न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

[प्रक]रण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
[..]5/2022	01.11.2022	12.12..2023

उनवान

श्री मुकेश पुत्र श्यामलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री अम्बालाल पुत्र गणपत लाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री ईश्वरलाल पुत्र गणपत लाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री राजू पुत्र बख्तावर खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री ज्ञानमल पुत्र बख्तावर खटीक कायम मुकाम वारिसानः–
   4/1. शंकर पुत्र स्व. श्री ज्ञानमल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
   4/2. मुकेश पुत्र स्व. श्री ज्ञानमल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
   4/3. नरेश पुत्र स्व. श्री ज्ञानमल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
5. श्री जगदीश पुत्र बख्तावर खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मनीष कांटिया

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/3, 5

के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 1069 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3258 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 5 के विरूद्ध दिनांक 13.6.2023 एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 4/1 से 4/3 नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये ने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चेंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1069 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3258 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.12..2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार) 12.12.23
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा